न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024 / 162 **दायरा दिनांक : 30.09.2024**

उनवान

1. नन्दराम पिता देवीसिंह, जाति धाकड़, निवासी सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़
2. गुड्डी बाई पुत्र परथी सिंह, जाति धाकड़, निवासी सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़
3. प्रकाशचन्द पिता परथी सिंह, जाति धाकड़, निवासी सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़
4. भगवान सिंह पिता परथी सिंह, जाति धाकड़, निवासी सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़
5. भवानीलाल पिता जानकीलाल, जाति धाकड़, निवासी सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़
6. रामस्वरूप बाई पत्नि हरिसिंह, जाति धाकड़, निवासी सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़
7. शम्भू सिंह पिता देवीसिंह, जाति धाकड़, निवासी सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़
8. सोहन बाई पुत्री परथी सिंह, जाति धाकड़, निवासी सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ .... अपीलांट

बनाम

1. कन्हीराम पिता देवीलाल, जाति धाकड़, निवासी सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़
2. रामनारायण पिता देवीलाल, जाति धाकड़, निवासी सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़
3. श्यामलाल पिता देवीलाल, जाति धाकड़, निवासी सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़
4. मोतीलाल पिता देवीलाल, जाति धाकड़, निवासी सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़
5. मनोहरलाल पिता देवीलाल, जाति धाकड़, निवासी सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड
6. मांगी बाई पुत्री देवीलाल, जाति धाकड़, निवासी सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़
7. मेहताब बाई पत्नि देवीलाल, जाति धाकड़, निवासी सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ मृतक जर्ये कायम मुकामान .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री रमेश मेघवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हुकम चन्द कुमावत अभिभाषक रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 6 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 17.03.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 80/2022/प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 01.08.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थीगण के कब्जे, काश्त, खातेदारी की आराजी, खसरा संख्या 37 रकबा 1.4417 हेक्टेयर भूमि ग्राम सामिया में स्थित हैं। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 37 रकबा 1.4417 हेक्टेयर भूमि व रास्ते के लिए पेश कर रहे हैं। अप्रार्थीगण के खातेदारी, कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 709/28 रकबा 1.5176 हैक्टेयर भूमि हैं। जिसमें निकलकर प्रार्थीगण अपने खसरा सं0 37 में पहुँचते हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय दिनांक 01.08.2024 से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने तथा पत्रावली संग्रहसार के विरूद्ध होने के कारण अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समुचित अवलोकन किये बिना एवं सम्बन्धित पक्षकारों के मध्य लम्बित करने विवादग्रस्त प्रश्नों की विधियों के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किये बिना ही यह निर्णय पारित किया है जो कि अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र में अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 709/28, 70 वर्षों से 15 फीट चौड़ा रास्ता होना बताया है जिसका सनातन काल से उपयोग उपभोग करना बताया है तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त रास्ते को बन्द करने के लिए खायी लगाना बताया है। यदि रेस्पोडेन्ट का रास्ता 70 वर्षों से था तो उनके रास्ते का खुलासा करवाने के लिए सिविल न्यायालय में सिविल वाद पेश करना था अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रकरण की सुनवाई करने का अधिकार नहीं था फिर भी यह निर्णय पारित किया है जो कि अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय धारा 251ए के तहत रेस्पोडेन्ट का अपीलान्ट की आराजी में रास्ता दिये जाने का आदेश दिया है और जहां पर रास्ता दिया है वहां पर रेस्पोडेन्ट का कभी रास्ता ही नहीं रहा है वहां पर मौके पर बड़े–बड़े पेड़ उगे हुए हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया है जो कि

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट पहले उसके खाते की आराजी खसरा नम्बर 37 की पश्चिम मेड़ पर बने रास्ते से होकर निकलते है जिसको रेस्पोडेन्ट ने जानबूझकर बन्द कर दिया व जबरन अपीलान्ट की अराजी में निकलना चाहते हैं। धारा 251ए की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम यह कहती है कि यदि काश्तकार की अपनी आराजी को काश्त करने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो उसे अपनी आराजी तक पहुंचने के रास्ता दिया जावे जो कि रेस्पोडेन्ट के पास पहले से ही उनकी आराजी खसरा नम्बर 37 तक पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 37 के पश्चिम दिशा में है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार सुनेल की ओर से भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट दिनांक 19.03.2024 के आधार पर रास्ता दिया जाने का निर्णय पारित किया है परन्तु इस रिपोर्ट में इस बात का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया कि पूर्व में रेस्पोडेन्ट का अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 709/28 में रास्ता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 की निर्णय होने से पूर्व ही मृत्यु हो गई थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया जो कि अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 के कामय मुकामान पहले से ही रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 रिकार्ड पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 15.07.2022 पेश की जिसमें हल्का पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक ने जो नजरी नक्शा बनाया है उसमें जहां प्रस्तावित रास्ता होना दर्शाया है उसके दक्षिण दिशा में 846/36 की आराजी है यदि रास्ता दिया जाता है तो दोनों की आराजी में दिया जाता न कि अपीलान्ट मात्र की आराजी में, परन्तु रेस्पोडेन्ट ने जानबूझकर पैसों के दबाव में हल्का पटवारी से झूठी रिपोर्ट तैयार करवा कर रिपोर्ट पेश की है जिस पर यह निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में अपीलान्टस की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 709/28 में रास्ता कायम कर दिया गया तो अपीलान्टस को काफी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन द्रव्य में संभव नहीं है तथा सुविधाओं का संतुलन भी अपीलान्टस के पक्ष में है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपीलान्टस की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.08.2024 को अपास्त फरमाये जाने की कृपा करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया और बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे खाते की आराजी खसरा नम्बर 709/28 में से रास्ता दे दिया। 70 साल से आराजी पर आते जाते रहे हैं कथन

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया है, हमने कभी भी रास्ता बन्द नहीं किया। धारा 251 (ए) में रास्ता नहीं होने पर नया रास्ता कायम किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल हमारा वादग्रस्त आराजी की मेड से रास्ता लिया खसरा नम्बर 816/36 की मेड से आराजी नहीं ली है। यदि रास्ता दिया जाता तो मेड के दोनों ओर की आराजी से रास्ता दिया जाता। यदि रास्ता दोनों की आराजी से दिया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सामिया में स्थित खसरा संख्या 37 क्षेत्रफल 1.4417 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, खातेदारी की है तथा अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 709/28 स्थित हैं। अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय ने खसरा संख्या 37 पर पहुँचने के लिए खसरा संख्या 709/28 पर रास्ते की मांग की है तथा रास्ता परिशिष्ट ''अ'' में B से C बिन्दू तक लम्बाई का गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं डी० एल० सी० दर से राशि जमा करने की प्रार्थना की हैं। अपीलान्ट/अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते के विरोध कर जवाब पेश किया। माननीय विचारण न्यायालय ने तहसीलदार सुनेल से रास्ता बाबत् तथा डी० एल० सी० दर से राशि की गणना कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार सुनेल द्वारा रिपोर्ट मय नक्शा पेश की गई। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। जिससे नाराज होकर अपीलान्ट/अप्रार्थीगण ने अपील पेश की हैं। रेस्पोडेन्ट्स की और से लिखित बहस निम्न आधार पर सादर प्रस्तुत हैं।

अपीलान्ट ने अपील गलत तथ्यो एवं आधारों पर पेश की हैं। अपीलान्ट ने यह भी गलत अंकित किया है कि जहाँ पर रास्ता दिया गया हैं। वहाँ रेस्पोडेन्ट्स का कभी रास्ता नही रहा। तथा बड़े–बड़े पेड़ होना भी गलत अंकित हैं। रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण के पास अपने खसरा संख्या 37 पर पहुँचने के लिए खसरा संख्या 709/28 की दक्षिणी मेड पर स्थित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही हैं। अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण के खातेदारी, कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 709/28 रकबा 1.5176 हैक्टेयर भूमि हैं। जिसमें निकलकर रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण अपने खसरा संख्या 37 में पहुँचते हैं। रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण का रास्ता खसरा संख्या 709/28 पर हैं। रास्ता गाँव सामिया से पूर्व से पश्चिम में चलकर खसरा संख्या 34, 709/28 के उत्तर की मेड़ के सहारे आगे जा रहा हैं। इस रास्ते से रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण अपने खसरा संख्या 37 के पश्चिमी भाग पर उत्तर से दक्षिण चलकर पुनः घूमकर खसरा संख्या 709/28 की दक्षिणी मेड़ से होकर रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण खसरा संख्या 37 में प्रवेश करते हैं।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह रास्ता पिछले लगभग 70 वर्षों से विद्यमान है। जिसकी चौडाई लगभग 15 फीट है। जिसका उपयोग सनातन काल से रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण अपने जानवरों को लाने, ले, जाने, ट्रैक्टर–ट्रोली, कृषि औजार, बैलगाडी, सामद, निकालते हैं। फसल लेकर आते हैं। खाद–बीज लेकर जाते हैं। पैदल, कदीमी रास्ते का उपयोग करते हैं। इस रास्ते को पूर्व खातेदार भवानीलाल पुत्र लक्ष्मण, उनके वारीसान ने कभी भी किसी भी क्षण मात्र को भी बन्द नहीं किया तथा खरीददारों ने भी खरीद की तारीख से इस कृषि वर्ष तक बन्द, रोक, अवरोध नहीं किया है। अपीलान्टस/अप्रार्थीगण की जानकारी, ईल्म, जन–सामान्य को भी इसी रास्ते का ज्ञान है। सन् 1977 में अप्रार्थीगण ने आराजी खरीद की है। इस अवधि को भी लगभग 45 वर्ष व्यतीत हो गये हैं। तभी से रास्ता चालू उपयोगी है। रास्ते का विस्तृत विवरण प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट "अ" नजरी नक्शा में किया हैं। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर, रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण के द्वारा रास्ते की चौड़ाई 15 फीट की मांग अपने प्रार्थना पत्र में की गई थी। जिस पर माननीय विचारण न्यायालय ने 12 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया है। यह उचित एवं लघुत्तम रास्ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर पूर्ण जांच कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। प्रार्थना पत्र के आदेशानुसार रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण ने तहसीलदार सुनेल के कार्यालय में दिनांक 20.08.2024 को रसीद संख्या 0036, पुस्तक संख्या 091693 से राजस्व राशि 16682/– रूपये जमा कर दिये है तथा मौके पर तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 709/28 की दक्षिणी मेड पर रास्ता चालु है। इस रास्ते का उपयोग रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण उपयोग कर रहे हैं। इसी रास्ते से प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस ने अपनी फसल खेत से ली है तथा रबी की फसल की बुवाई की है। इस रास्ते का उल्लेख तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 15.07.2022 एवं सलंग्न नक्शे से स्पष्ट है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिनांक 01.08.2024 को पारित किया गया आदेश उचित एवं सक्षम हैं। जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना कानून की रोशनी मे उचित नहीं हैं।

अतः लिखित बहस रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, तहसीलदार रिपोर्ट, मय नक्शा के आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2024 की पुष्टि की जाकर अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने की कृपा करें।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 37 पर पहुंचने हेतु अपीलांट/अप्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 709/28 की दक्षिणी मेड पर 15 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न परिशिष्ट 'अ' नजरी नक्शे में दशाये अनुसार बिन्दू बी से सी तक चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.08.2024 से प्रार्थीगण रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 37 पर पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 709/28 की दक्षिणी मेड पर 132 X 12 = 1584 वर्गफीट अर्थात् 0.0147 हेक्टर भूमि नवीन रास्ता कायम करने हेतु देते हुए अप्रार्थीगण को होने वाली क्षति के कारण प्रार्थीगण को ग्राम सामिया की सिंचित कृषि भूमि की डीएलसी 567445/– रूपये प्रति हेक्टर की दर से 16082 रूपये का भुगतान अप्रार्थीगण को किये जाने के आदेश जारी किया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत कोई खातेदार अपने खाते की आराजी तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या विद्यमान मार्ग को चौडा करना चाहता है और आपसी सहमति से मामला तय नहीं होता है तो काश्तकार ऐसी सुविधा के लिए उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है और उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच के बाद संतुष्ट हो जाता है कि : –

1. आवश्यकता परम आवश्यकता है और वह केवल जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है तथा
2. विशेष रूप से किसी खातेदार की जोत में से नये रास्ते के मामले में यह साबित हो जाये कि पहुंच के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय नया रास्ता कायम करने हेतु आदेश प्रदान करेगा।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 04.04.2024 में तहसीलदार सुनेल द्वारा पहुंच मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक मार्ग की अनुपलब्धता के सन्दर्भ में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की है। इसके विपरीत प्रस्तुत रिपोर्ट की बिन्दू संख्या 3 में यह अंकित किया है कि वादीगण खसरा नम्बर 34 की पूर्वी मेड जो कि उनकी स्वयं की खातेदारी में दर्ज है, इसमें से होकर अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 709/28

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

की दक्षिणी मेड पर होकर अपनी आराजी खसरा नम्बर 37 पर पहुंचना चाहता है। यहां पहुंचना चाहता है" यह शब्द प्रथम दृष्टया जोत के सुविधाजनक उपयोग को दर्शाता है, ना कि आवश्यकता एवं अनुपलब्धता को। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। इससे भी प्रथम दृष्टया यही स्पष्ट होता है कि मौका रिपोर्ट पक्षकारान की अनुपस्थिति में बनायी गई है जो विधि सम्मत नहीं है। वैधानिक प्रावधानों की पालना के अभाव में बनायी गई मौका रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–क की मूल भावना के अनुसार क्या रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं, परीक्षण नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार, सुनेल से उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर प्राप्त करें और इसके उपरान्त धारा 251–क के सुसंगत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष को सुनकर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.05.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/03/2025

(दीप्ति प्रेमचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा